माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष राज्य का वित्त वर्ष 2017–18 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. राज्य के गठन के स्वर्ण जयंती वर्ष में बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लगातार तीसरी बार प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर सरकार की पिछले दो वर्ष की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्ष में विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार की परिकल्पना एवं रणनीति पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

3. वित्त वर्ष 2016–17 देश के आर्थिक इतिहास में एक अनूठा वर्ष है, जो वर्ष 2017–18 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए संविधान (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम 2016 के पारित होने और 500 रुपये एवं 1000 रुपये के विशिष्ट बैंक नोटों का प्रचलन बंद करने के रूप में दो प्रमुख नीतिगत सुधारों का साक्षी रहा है। निःसंदेह, इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल, स्वच्छ एवं अधिक सुव्यवस्थित बनेगी।

4. इसी प्रकार, केन्द्र में बजटीय प्रक्रिया में तीन सुधार किए गए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2017–18 से योजना एवं गैर–योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करना, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय और बजट को पारम्परिक समय से पहले पेश करना शामिल है ताकि इसके अनुमोदन की प्रक्रिया को नए वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। राज्य सरकार और हरियाणा के लोगों की ओर से, मैं इन महत्वपूर्ण पहलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूँगा।

5. हालांकि, राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर पर वैश्विक मंदी का क्षणिक प्रभाव रहा क्योंकि वर्ष 2015–16 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में चालू वित्त वर्ष में यह कम होकर 7.1 प्रतिशत हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अगले वर्ष इसका प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 में वृद्धि दर

7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकते सितारे के समान है, क्योंकि वैश्विक मंदी के दौर में भी यह तेजी से उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही।

6. केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर, हमने भी व्यय के योजना एवं गैर–योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करने और बजट को राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्रवार आबंटन का समग्र अवलोकन करवाएगा, जिससे विभागों को संसाधनों का इष्टतम आबंटन हो सकेगा। इस बार, मैंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधि प्रवाह बारे एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से संसाधनों के आबंटन को यथासम्भव ग्रामीण और शहरी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का भी प्रयास किया है।

विगत प्रदर्शन की समीक्षा

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है, इसलिए पिछली सरकार के प्रदर्शन की तुलना में गत दो वर्षों के दौरान हमारे प्रदर्शन की समीक्षा करने का भी यह उचित समय है।

आर्थिक स्थिति – सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सभी आर्थिक एवं राजकोषीय मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने स्थिर मूल्यों (2011–12) पर वर्ष 2014–15 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 में 9.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2016–17 में भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, वर्ष 2017–18 में यह 9.0 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है। पिछली सरकार के गत पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान जीएसडीपी विकास दर कभी भी 9.0 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाई। यह वर्ष 2010–11 में 7.4 प्रतिशत, 2011–12 में 8.0 प्रतिशत, 2012–13 में 7.7 प्रतिशत, 2013–14 में 8.2 प्रतिशत और 2014–15 में 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सकल राज्य घरेलू

उत्पाद की विकास दर अखिल भारतीय जीडीपी विकास दर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बनी हुई है।

9. वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 5.8 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 4.0 प्रतिशत थी। प्रति व्यक्ति आय की विकास दर वर्ष 2015–16 में 6.6 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 7.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

10. इसी प्रकार, राज्य के प्राथमिक क्षेत्र (कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र) ने वर्ष 2014–15 में 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2015–16 में 3.2 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। वर्ष 2016–17 में इसके 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार, द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) ने वर्ष 2015–16 में 7.7 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह मात्र 2.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की विकास दर 6.1 प्रतिशत अनुमानित है। तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने वर्ष 2015–16 में 10.9 प्रतिशत की आकर्षक विकास दर दर्शायी है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह 10.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की विकास दर 10.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

11. सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) का संयोजन सेवा क्षेत्र के प्रति राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जोकि परिपक्व एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का संकेत है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन के संयोजन के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 में 49.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 50.7 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 में 51.7 प्रतिशत हुई है। द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी गत तीन वर्षों के दौरान लगातार कमोबेश 30 से 31 प्रतिशत के बीच रही। तदानुसार, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट का रुख रहा, जो वर्ष 2014–15 में 19.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 18.3 प्रतिशत और 2016–17 में 18.1 प्रतिशत रही।

राज्य वित्त – राजकोषीय मापदंड

12. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हावी रहे बढ़ते घाटा मानकों को बदलने में सक्षम हुई है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में राजस्व घाटा, जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.90 प्रतिशत था, वर्ष 2015–16 में कम होकर 1.60 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2016–17 में इसके 1.33 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए, मैंने इसे एक प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2019–20 के अंत तक, मेरा लक्ष्य इसे शून्य पर लाने का है।

13. राजकोषीय घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित की गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। वर्ष 2015–16 में, राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.92 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2016–17 में इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.49 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान, इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.61 (उदय के बिना) से 2.84 प्रतिशत (उदय के साथ) के बीच रहने की संभावना है।

14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात पर ऋण 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। यह 'उदय' के बिना वर्ष 2014–15 में 16.21 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 17.40 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 (संशोधित अनुमान) में 18.08 प्रतिशत तथा 'उदय' के साथ वर्ष 2015–16 में 20.96 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 (संशोधित अनुमान) में 22.82 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 में 'उदय' के बिना 18.74 प्रतिशत और 'उदय' के साथ 22.93 प्रतिशत रहने की संभावना है।

कुल राजस्व प्राप्तियां (टीआरआर)

15. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016–17 में 11.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2015–16 में ये 9.80 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 में 9.33 प्रतिशत थी। यह एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका राज्य संसाधनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

16. संशोधित अनुमान 2016–17 के लिए, कुल राजस्व प्राप्तियां 60327.09 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 45087.63 करोड़ रुपये (74.74 प्रतिशत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 15239.46 करोड़ रुपये (25.26 प्रतिशत) की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

17. वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों में, मैंने 68810.88 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की हैं, जिनमें 51711.52 करोड़ रुपये की कर प्राप्तियां और 17099.36 करोड़ रुपये का गैर–कर प्राप्तियां शामिल हैं। यह वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 14.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में, कुल राजस्व प्राप्तियां, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.12 प्रतिशत रहने की संभावना है।

कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान

18. कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान वर्ष 2014–15 में 16.98 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 17.42 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वर्ष 2016–17 में यह घटकर 15.94 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017–18 में इसके लगभग 16.36 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पूंजीगत खर्च

19. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2015–16 के 6780.12 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष, संशोधित अनुमान 2016–17 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर यह 7432 करोड़ रुपये हो गया। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए, मैं इसे संशोधित अनुमान 2016–17 पर दोगुना करके 14932 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 4725 करोड़ रुपये खर्च करने की सम्भावना है। इसलिए, वर्ष 2017–18 में कुल पूंजीगत खर्च 19657 करोड़ रुपये अनुमानित है।

ग्रामीण–शहरी वर्गीकरण

20. मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में 8 विभागों द्वारा किये गये खर्च को चिन्हित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2016–17 में, मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना 91 प्रतिशत परिव्यय (7296 करोड़ रुपये) खर्च करने का अनुमान है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 88 प्रतिशत (3870 करोड़ रुपये), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 87 प्रतिशत (1050.52 करोड़ रुपये), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 70 प्रतिशत (2947 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 43 प्रतिशत (331 करोड़ रुपये), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 38 प्रतिशत (513 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 33 प्रतिशत (28 करोड़ रुपये) तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 17 प्रतिशत (288 करोड़ रुपये) खर्च किये जाने की संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सिंचाई विभाग को किया गया व्यापक आबंटन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। संभावना है कि आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटन में और वृद्धि होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा

21. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसई) राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में हुए सुधार के फलस्वरूप न केवल लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि इनके घाटे में भी कमी आई है।

22. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों में से 15 उपक्रमों ने वर्ष 2013–14 में 13 उपक्रमों की तुलना में वर्ष 2015–16 में 299.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 13 उपक्रमों द्वारा 803.92 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में नौ से कम होकर 2015–16 में छः रह गई। इनका घाटा वर्ष 2013–14 में 3806.38 करोड़ रुपये से 78.67 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2015–16 में 811.63 करोड़ रुपये रह गया।

23. इसी प्रकार, सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रम भी अपने घाटे को कम करने में सफल रहे हैं, जिससे सुधार के संकेत मिले हैं। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में 13 से कम होकर 2015–16 में 11 रह गई तथा इनका घाटा वर्ष 2013–14 में 435.39 करोड़ रुपये से कम होकर 2015–16 में 407.70 करोड़ रुपये रह गया। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या पांच से बढ़कर छः हुई है। कुल संचित लाभ वर्ष 2015–16 में बढ़कर 468.02 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2013–14 में यह 451.07 करोड़ रुपये था।

24. विशेष कानूनों के तहत पंजीकृत पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है, क्योंकि ये उपक्रम अपने घाटे को वर्ष 2013–14 में 398.79 करोड़ रुपये से कम करके 2015–16 में 39.43 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन सुधारने तथा उनके संचित घाटे को कम करने की दिशा में काफी कुछ किया जाना है।

बजट 2017–18

25. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हम वर्ष 1966 में अपने राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। महोदय, इस शुभ वर्ष में, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए मैं 102329.35 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 90412.59 करोड़ रुपये पर 13.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोड़कर, बजट ने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। महोदय, 102329.35 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय में 22393.51 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च और 79935.84 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है जोकि क्रमशः 21.88 प्रतिशत और 78.12 प्रतिशत है।

26. वर्तमान बजट हमारे प्रदेश को भारतीय संघ की एक जीवंत, गतिशील और उभरती इकाई के रूप में रूपांतरित करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के

उस विजन पर आधारित है, जहां खेतों में फसलें लहलहा रही हों, उद्योग के पहिये निर्बाध रूप से गतिशील हों, कोई भी अपने–आपको वंचित महसूस न करे, लोगों में संतुष्टि का भाव हो, युवा गर्व की भावना से ओत–प्रोत हों और अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समान अवसर मिलें, बल्कि वे सशक्त भी महसूस करें। 'अंत्योदय' और 'सरकार कम से कम–सुशासन अधिकतम' ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जो हरियाणा को रहने के लिये एक बेहतर स्थान बनाते हैं। इस विजन को पूरा करने के उद्देश्य से नौ प्राथमिकता क्षेत्रों नामतः (i) कृषि, (ii) ग्रामीण विकास, (iii) शहरी विकास, (iv) अवसंरचना, (v) शिक्षा और आईटी शासन, (vi) स्वास्थ्य, (vii) महिला सशक्तिकरण, (viii) युवा और (xi) संस्कृति के विकास पर आधारित एक रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है।

27. हमने प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार–मुक्त शासन उपलब्ध करवा कर व्यवस्था–परिवर्तन के एक नए युग का सूत्रपात किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) इस दिशा में एक प्रमुख कदम है, जिसके तहत विभिन्न कल्याण सबसिडी वाली योजनाओं के तहत अपात्र लाभार्थियों को निकालकर अब तक लगभग 571 करोड़ रुपये की बचत की गई है। पढ़ी–लिखी पंचायतों का चुनाव, एचसीएस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक सरकारी नौकरियों में पूर्णतः योग्यता आधार पर पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति, सीएम विंडो के माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी निवारण, समय पर, पारदर्शी और परेशानी–मुक्त तरीके से कम्प्यूटर के एक क्लिक पर 24 विभागों की लगभग 170 ई–सेवाओं का प्रावधान, शासन में बदलाव के कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

28. ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की बढ़ोतरी, चरणबद्ध तरीके से बजटीय प्रावधानों के साथ विभिन्न विभागों के कुछ कार्यों को हस्तांतरित करके पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण, शासन में सुधारों का सूत्रपात, डिजिटल हरियाणा पर बल और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर बजट में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

नई योजनाएं/पहल

29. स्वर्ण जयंती वर्ष में, शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर तीन वर्ष के अंदर चरणबद्ध ढंग से आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवा कर 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांवों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय से, मैं हरियाणा के महान नेता रहबरे आज़म स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर ''दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना' के नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह योजना नाबार्ड से वित्त पोषित होगी। वर्ष 2017–18 के लिए, मैं इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

30. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रख–रखाव के लिए, मैं हरियाणा के महान नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना ''मंगल नगर विकास योजना'' शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए आरंभ में 1000 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

31. भारत सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के निर्दिष्ट बैंक नोटों को बंद करने के ऐतिहासिक निर्णय से व्यवस्था में काले धन और भ्रष्टाचार की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए नकद लेन–देन को हतोत्साहित करने और कैशलेस लेन–देन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज भारत एक व्यापक डिजिटल क्रांति की दहलीज पर है। हरियाणा इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकता। इसलिए, सरकार प्रदेश में औपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड जैसे डिजिटल तरीकों और अन्य साधनों के माध्यम से कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि 5000 रुपये से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाएंगे। भीम एप्प के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपये होगी।

32. अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्बाध एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ''कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना'' शुरू करने की संभावनाएं तलाशने की इच्छुक है।

33. राज्य सरकार द्वारा भवनों, खाली भूमियों, अवसंरचना आदि जैसी सृजित अचल भौतिक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में मरम्मत और रख–रखाव के अभाव के कारण कमी आई है। इस तरह की भौतिक परिसंपत्तियों को उचित रख–रखाव की ही नहीं बल्कि नियमित अंतराल पर सुदृढ़ किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि उनकी पूरी क्षमता का लाभ लिया जा सके। इसलिए, मैं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समर्पित **''परिसम्पत्ति संवर्धन कोश''** (Asset Augmentation Fund) सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्य संसाधनों का परिसम्पत्ति मानचित्रण करने तथा सभी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करने के लिए राजस्व विभाग में एक समर्पित परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ (Asset Management Cell) बनाया जा रहा है।

क्षेत्रवार आबंटन

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

34. माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा के मामले में किसान व मजदूर देश की रीढ़ हैं। इसलिए, उन्हें एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना जरूरी है, जहां उन्हें आय सुरक्षा मिले। राज्य के किसान कृषि क्षेत्र में एक सुखद बदलाव लेकर आए हैं जोकि वर्ष 2014–15 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की 2.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से 2015–16 में 3.2 प्रतिशत और 2016–17 में 7.0 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014–15 में 152.36 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2015–16 में 163.33 लाख मीट्रिक टन हो गया, जोकि 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016–17 के लिए 174.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

35. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और उनके समग्र विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार सात कार्य बिंदुओं पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। ये कार्य बिंदु हैं, (i) प्रभावी सिंचाई पद्धतियां, (ii) गुणवत्ता आदानों – बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, (iii) कटाई उपरांत नुकसान की रोकथाम, (iv) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देना, (v) ई–बाजार की स्थापना, (vi) फसल बीमा और (vii) पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन इत्यादि जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना।

36. मृदा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए, राज्य सतत् आधार पर मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। वर्तमान में, राज्य में 34 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) संचालित हैं। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान 50 मिनी मृदा परीक्षण इकाइयों की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त, एक नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कैथल के गुहला चीका में स्थापित की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत, 11.80 लाख मृदा नमूने एकत्र किये गये, जिनमें से पाँच लाख से अधिक मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

37. सरकार ने वर्ष 2030 तक, 15 वर्षों में बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को दोगुना करने और उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए ''बागवानी विजन'' तैयार किया है। सरकार ने 140 फसल कलस्टरों में 340 ''बागवानी गांव'' घोषित किए हैं, जिनके लिए फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) तैयार किया गया है।

38. करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सरकार की राज्य के प्रत्येक जिले में ''उत्कृष्टता केन्द्र'' स्थापित करने की योजना है। करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र में तीन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य केन्द्र शाहाबाद, कुरुक्षेत्र में मार्च 2017 तक पूरा हो जाने की संभावना है। झज्जर और नारनौल में अन्य दो केन्द्रों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

39. केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और किसानों व आढ़तियों के अनुकूल बनाने के लिए ई–एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के तहत एक ई–मार्केट प्लेटफार्म शुरू किया है। राज्य में 37 मंडियों को इस प्लेटफार्म के साथ जोड़ा जा चुका है और शेष को शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा।

40. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा में गन्ना किसानों को गन्ने का 320 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है जोकि देश में सर्वाधिक है। राज्य में पहली बार सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई।

41. हमारा प्रयास है कि किसान खेती के साथ–साथ डेरी फार्मिंग का कार्य भी करें ताकि उनकी अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए, देसी गायों की मिनी डेरी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है। पशुधन पालकों के लिए पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों के पशुधन को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है।

42. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। मैं, वर्ष 2017–18 के दौरान कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 3206.01 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 2698.80 करोड़ रुपये से 18.79 प्रतिशत अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1516.01 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 396.93 करोड़ रुपये, वनों के लिए 457.62 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 88.57 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

सिंचाई और जल संसाधन

43. वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पानी की हर बूंद का इष्टतम उपयोग और संरक्षण करने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सिंचाई के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं।

44. ''हर खेत को पानी'' के विज़न को साकार करने की दिशा में, जेएलएन उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पम्प घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने

के लिए 143 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका कार्य वर्ष 2017–18 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिसंबर, 2016 में पिहोवा में 13 जिलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रदर्शन की 25 करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया।

45. वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, खनौरी माइनर, जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, नई उरलाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर, पहाड़ीपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, बसई डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। विभाग ने चरणबद्ध तरीके से प्रमुख मरम्मत कार्यों, रि–मॉडलिंग और पुनरोद्धार हेतु 7500 जलमार्गों की पहचान की है।

46. इसके अलावा, राज्य सरकार ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरोद्धार की योजना बनाई है।

47. सरकार सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने तथा रावी–ब्यास के हरियाणा के यथोचित हिस्से का पानी लेने के लिए कृत–संकल्प है। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई, जो गत 12 वर्षों से अधिक समय से लंबित थी, पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि पंजाब वर्ष 2002/2004 के फैसले तथा निर्णय को रद्द और 31 दिसम्बर, 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता। पंजाब में एसवाईएल नहर के शेष भाग को शीघ्र पूरा करवाने और प्रदेश के लोगों को चिरलम्बित न्याय दिलवाना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा ने 28 नवम्बर, 2016 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को, उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन सौंपा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा 30 नवम्बर, 2016 को पारित अंतरिम आदेश, आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए, मैं वर्ष 2017–18 में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपये का परिव्यय

आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि एसवाईएल नहर को बनवाने के लिये अगर 1000 करोड़ रुपये की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

48. वर्ष 2017–18 के लिए, मैं सिंचाई और जल संसाधनों के लिए परिव्यय को संशोधित अनुमान 2016–17 के 2397.68 करोड़ रुपये से 13.62 प्रतिशत बढ़ाकर 2724.26 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण विकास

49. राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए ''ग्रामोदय से भारत उदय'' कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने गांवों को आदर्श गांव बनाकर गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

50. ''स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना'' के प्रथम चरण में, 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों में सुनियोजित ढंग से सभी प्रकार की शहरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना 1461 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पांच वर्ष के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

51. पहली बार, ''स्वर्ण जयंती विकास निधि'' योजना के तहत आबादी के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को वार्षिक आधार पर विकास कार्यों के लिए सुनिश्चित निधि पैकेज हस्तांतरित किया गया है।

52. हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों के सहयोग से, राज्य ने वर्ष 2016–17 में 14 जिलों के लिए खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार का नवम्बर, 2017 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य है।

53. गांवों में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्राम सचिवालय और अटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें भारतनैट परियोजना के माध्यम से कनैक्टिविटी प्रदान की जा रही है। अब तक राज्य के 100 गांवों में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

54. राज्य सरकार कार्यों, अधिकारियों और निधि के मामले में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित जनप्रतिनिधियों का चुनाव इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है। ग्राम पंचायत के पंच से लेकर जिला परिषद् के अध्यक्ष तक का मानदेय प्रतिमाह 400 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बढ़ाया गया है।

55. मैं वर्ष 2017–18 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4963.09 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 3167.55 करोड़ रुपये पर 56.69 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है।

सामाजिक क्षेत्र

स्वास्थ्य

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः'' का है। इसलिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में सस्ती, सुविधाजनक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। छः जिला अस्पतालों तथा तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की गई हैं। पांच और जिला अस्पतालों के सम्बन्ध में इन मशीनों की स्थापना के लिए आदेश पत्र जारी हो चुका है। पहली बार चार जिलों में डायलिसिस सेवाएं शुरू हुई हैं तथा अन्य 10 जिलों में स्थापित की जा रही हैं। चार जिला अस्पतालों नामतः पंचकूला, गुरुग्राम, अम्बाला छावनी और फरीदाबाद में अत्याधुनिक कैथ–लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

57. राज्य सरकार की परिकल्पना प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की है। भिवानी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। कुटैल, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय में 750 बिस्तर वाला 'अत्याधुनिक'

मल्टी स्पेशिलिटी और सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल होगा। जींद में वर्ष 2017–18 में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) द्वारा कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल का निरीक्षण किया जा चुका है और इसमें शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में 100 सीटों के लिए एमबीबीएस के पहले बैच के दाखिले होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े जिले नूह के लोगों को बेहतर दंत चिकित्सा सुविधाएं तथा दंत शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शहीद हसन खाँ मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहड़ में एक डेंटल कालेज भी स्थापित किया जाएगा।

58. मैं वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 3323.95 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 15.52 प्रतिशत की वृद्धि है।

शिक्षा

59. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार युवा पीढ़ी को शिक्षित, सदाचारी, स्वस्थ और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के अतिरिक्त, शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दे रही है।

60. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकार ने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सार्वभौमिक पहुंच के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता भी मायने रखती है जिसके लिए सरकार स्कूलों में शैक्षणिक माहौल में सुधार पर बल दे रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य में गुणवत्ता सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने के अंतर को पाटना और यह सुनिश्चित करना है कि पांच वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं के कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड स्तरीय दक्षता प्राप्त कर लें। ''अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम (Learning Enhancement Programme)'' के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए सुधारात्मक कक्षाएं शुरू की

गई हैं। इसके साथ ही, अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से अध्यापकों की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

61. स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। इस लक्ष्य की दिशा में, विभाग ने स्कूल प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। शिक्षकों का न्यायोचित और मांग आधारित वितरण सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, अपने कर्मचारियों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य के प्रति संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए, एमआईएस आधारित ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू की गई है। शिक्षक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 12843 पीजीटी और 22588 पीआरटी को स्थानांतरित किया गया है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को सभी प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियां और अन्य लाभ आधार से जुड़े खातों के माध्यम से दिये जा रहे हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा चुका है।

62. भर्ती निकायों के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विभाग ने स्कूलों में अध्यापकों की तत्काल तथा अपरिहार्य कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए 'सुगम शिक्षा' स्कीम बनाई है। इसी प्रकार, स्कूलों की सम्पूर्ण स्वच्छता में सुधार लाने के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में 'स्वच्छ प्रांगण' योजना शुरू की है।

63. वर्ष 2016–17 के दौरान 33 राजकीय मिडल एवं हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया और दो नए स्कूल भी खोले गए। इन सभी स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों की शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और इन विषयों के लिए अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

64. सरकार उच्चतर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जरूरतमंदों और महिलाओं तक उच्चतर शिक्षा की

न्यायसंगत, सस्ती और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विस्तार पर भी पर्याप्त बल दिया गया है।

65. मैं बजट अनुमान 2017–18 में शिक्षा (मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) के लिए 14005 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि संशोधित बजट प्रावधान 2016–17 के 11825.67 करोड़ रुपये पर 18.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा

66. राज्य सरकार ने इंडरी (नूंह), मालब (नूंह), छपार (दादरी), मंडकोला (पलवल) और शेरगढ़ (कैथल) में पांच नए बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण किया है। इसके अलावा, गांव नीमका, (फरीदाबाद) में बहुतकनीकी संस्थान के साथ–साथ एक टूल रूम/टैक्नालॉजी सेंटर चलाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

67. पंचकूला और रेवाड़ी में क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 16.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो नए राजकीय बहुतकनीकी–सह–बहु कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

68. राज्य सरकार ने सिलानी केशो, झज्जर और जैनाबाद, रेवाड़ी में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं। इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। वर्ष 2017–18 में आईआईआईटी, सोनीपत और एनआईएफटी, पंचकूला का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

69. भारत सरकार ने ऐसे जिलों, जिनमें बहुतकनीकी संस्थान नहीं हैं या इनकी कमी हैं, में सात बहुतकनीकी स्वीकृत किए हैं और प्रत्येक के लिए 12.30 करोड़ रुपये की अनुदान स्वीकृत की है। चीका (कैथल) और लिसाणा (रेवाड़ी) में बहुतकनीकी स्थापित कर दिए गए हैं, हथनीकुंड (यमुनानगर), उमरी (कुरुक्षेत्र), जाटल (पानीपत) और धांगड़ (फतेहाबाद) में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, तथा नानकपुर (पंचकूला) में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहु क्षेत्रीय विकास

कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सढ़ौरा, यमुनानगर में राजकीय बहुतकनीकी स्थापित किया जा रहा है।

70. मैं बजट अनुमान 2017–18 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 487.84 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

71. राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर ''हरियाणा कौशल विकास मिशन'' शुरू किया है। इसके तहत हर वर्ष लगभग 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पलवल के दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

72. वर्ष 2017–18 में गांव नोहनी (अंबाला), घरौंडा (करनाल), राई (सोनीपत), इंद्री (करनाल), सतनाली (महेंद्रगढ़), सिकरोना (फरीदाबाद), मुशैदपुर (गुरुग्राम), खेवड़ा (सोनीपत), कादमा (भिवानी), सेहलंगा (महेंद्रगढ़), बराणा (पानीपत), पलवल, फरीदाबाद, हसनपुर (अंबाला) और जीवन नगर (सिरसा) में 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) स्कीम के तहत 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, टंकड़ी (रेवाड़ी), नलवा (हिसार), जुलाना (जींद), कलायत (कैथल) और मुंडलाना (सोनीपत) के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

73. मैं बजट अनुमान 2017–18 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 487.39 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

खेल एवं युवा मामले

74. राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा शारीरिक गतिविधियां और खेल नीति–2015 बनाई है। सभी गांवों और शहरों में योगशालाएं स्थापित करने के उद्देश्य से योग एवं योगशाला नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है।

75. सरकार ने हरियाणा से ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ और प्रत्येक प्रतिभागी को 15 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

76. मैं युवाओं से उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने और राज्य एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा का योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह करता हूँ। मैं बजट अनुमान 2017–18 में खेलों के लिए 535.36 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 336.49 करोड़ रुपये की तुलना में 59.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सक्षम योजना

77. हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए ''सक्षम युवा योजना'' नामक एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के तीन महत्त्वपूर्ण घटक – बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय हैं। योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने के एवज में 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इस प्रकार, वे 9,000 रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। पात्र आवेदक, जिन्हें मानद कार्य नहीं सौंपा गया है, वे सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण में भाग लेंगे। योजना के प्रति आवेदकों का गहरा रूझान रहा है। 28 फरवरी, 2017 तक कुल 18624 आवेदक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और इनमें से पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

आधारभूत संरचना

सड़कें

78. मजबूत बुनियादी ढांचा विकास का निर्माण खंड है। राज्य सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान राज्य में 8,600 किलोमीटर लम्बी सड़कों के

मजबूतीकरण, सुधार, चौड़ा करने और निर्माण पर लगभग 4,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कई वर्षों से अधर में लटका कुंडली–मानेसर–पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

79. केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर, 2014 से अब तक राज्य में कुल 505 किलोमीटर लम्बाई के चार नए राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त 469 किलोमीटर लम्बाई के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की घोषणा की गई है। इसके अलावा, 703 किलोमीटर लम्बी 11 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

80. सितंबर 2014 से अब तक, हरियाणा राज्य से गुजरने वाली 906 किलोमीटर लम्बी नौ अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली–अमृतसर–कटड़ा एक्सप्रेसवे वाया जींद की स्वीकृति दी है, जो राज्य में विकास का एक नया कॉरिडोर खोलेगी।

81. हरियाणा सरकार की पहल पर, भारत सरकार ने रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) नारनौल–महेंद्रगढ़–चरखी दादरी–भिवानी कॉरिडोर को चार लेन की परियोजना में शामिल किया है। कॉरिडोर को पांच पैकेजों में विभाजित करके इस परियोजना को ईपीसी मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। खरक से भिवानी और भिवानी से चरखी दादरी तक दो पैकेजों को पहले ही 517.54 करोड़ रुपये के साथ स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और शेष तीन पैकेज स्वीकृति प्रक्रिया के तहत हैं। इन पैकेजों पर वर्ष 2017–18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है।

82. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21ए के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि से पिंजौर बाईपास के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है।

83. हरियाणा सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सेतु भारतम् योजना के तहत 346.69 करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8 आरओबी (जींद में 2 और झज्जर, अंबाला शहर, रेवाड़ी, लोहारू, कैथल और पिंजौर में एक–एक) स्वीकृत करवाए हैं।

रेलवे

84. हरियाणा प्रदेश में नई रेल लाइने बिछाने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करके रेलवे नेटवर्क को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

85. जून, 2016 में सोनीपत से जींद तक एक नई रेलवे लाइन लोगों को समर्पित की गई। रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है और इसके आगामी दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत की है और रेलवे द्वारा इसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

86. हरियाणा सरकार ने रोहतक शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए 315 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा रोहतक–गोहाना ट्रैक को ऊपर उठाने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2017–18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है।

87. गत 27 महीनों के दौरान, 558 करोड़ रुपये की लागत से 13 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और 11 रेलवे अंडर ब्रिज(आरयूबी) का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस समय 21 आरओबी एवं आरयूबी का कार्य प्रगति पर है।

88. हरियाणा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने हरियाणा में रेलवे सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए 1217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जोकि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है।

89. स्वीकृत परियोजनाओं में यमुनानगर से ज्योतिसर के बीच वाया कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर 55 किलोमीटर लंबी लाइन और कैथल एवं पटियाला के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शामिल है। जींद और हांसी के बीच एक नई लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसका निर्माण 900 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। आने वाले समय में यह लाइन दक्षिणी एवं मध्य हरियाणा को उत्तरी हरियाणा एवं चण्डीगढ़ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।

बिजली एवं सौर ऊर्जा

90. राज्य सरकार सभी ग्रामीण और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत–संकल्प है, जिसके लिए ''म्हारा गांव, जगमग गांव'' योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, 165 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पंचकूला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां सभी गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिल रही है।

91. लाइन हानियों को कम करने और ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने हेतु सरचार्ज माफी योजना–2016 और स्वैच्छिक घोषणा योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे हैं और लगभग 1.08 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना में भाग लिया और लगभग 400 करोड़ रुपये के बिलों का निपटान हुआ है।

92. गत दो वर्षों के दौरान, सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के 73 सब–स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 228 सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 1300 किलोमीटर लम्बी बिजली लाइनें बिछाई गई हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा

93. सरकार ने कुछ श्रेणियों के भवनों के लिए सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य किया है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध छतों का इस्तेमाल करने और उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों को कम करने में मदद करेगा। अब तक, राज्य में 45 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हुई हैं।

94. सरकार ने तीन चरणों में एक लाख सोलर आधारित होम सिस्टम प्रदान करने के लिए कुल 230 करोड़ रुपये की लागत से ''मनोहर ज्योति'' स्कीम शुरू की है।

95. राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 122 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार की

90 प्रतिशत वित्तीय सहायता से किसानों को 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के कुल 3050 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं।

96. मैं वर्ष 2017–18 में गैर–परंपरागत ऊर्जा विभाग के लिए 112.50 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जोकि गत वर्ष के 44.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय की तुलना में 154.18 प्रतिशत अधिक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

97. सरकार बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2016–17 में, 263 बस्तियों की समस्त आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2016 के अंत तक 157 बस्तियों को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में और 250 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

98. सरकार जल आपूर्ति के स्तर को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक बढ़ाने के लिए गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दे रही है। यह कार्य अतिरिक्त नलकूप स्थापित करके, मौजूदा नहर आधारित जल घरों के संवर्धन एवं सृजन, बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके किया जाएगा।

99. वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से सात जिलों नामतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल में 359 गांवों और 62 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 750.29 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 11 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

100. राज्य के सभी कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। 70 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं जबकि पांच कस्बों में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है। शेष पांच कस्बों में अधिसूचना के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।

101. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्तीय सहायता के साथ चार कस्बों नामतः सोहना, नूंह, पटौदी और फारुख नगर में जलापूर्ति योजनाएं

क्रियान्वित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन शहरों पटौदी, पुन्हाना और हथीन में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

102. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत, सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन व सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस के निर्माण के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपये और 129.51 करोड़ रुपये लागत की दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

103. मैं 2017–18 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3382.84 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 2906.52 करोड़ रुपये की तुलना में 16.39 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन

104. सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित और सक्षम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च, 2017 के अंत तक बस बेड़े में बसों की संख्या को 4200 तक बढ़ाए जाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयोजिता में व्यापक सुधार आएगा। वर्ष 2017–18 में बस बेड़े में 5000 तक की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रति किलोमीटर स्कीम के आधार पर निजी बसों को किराये पर लेने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने स्टेट कैरिज स्कीम 2017 अधिसूचित की है, जिससे निजी आप्रेटरों की बस उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।

105. सरकार ने परिवहन विभाग में 2038 चालकों, 930 परिचालकों, 908 हैल्पर्स और स्टोर मैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

106. सरकार ने वर्ष 2016–17 में पायलट आधार पर अनेक नई पहल की हैं, जिनका वर्ष 2017–18 में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। हरियाणा राज्य की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इनमें परस्पर (i) हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करना, (ii) पास जारी करने और अग्रिम बुकिंग सहित हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन शुरू करना और (iii) सभी प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है।

107. वर्ष 2017–18 में, परिवहन विभाग के लिए 2459.70 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 2291.31 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

शहरी विकास

108. माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर, शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहरों के रूपातंरण के लिए दो महत्त्वाकांक्षी योजनाएं नामतः ''स्मार्ट सिटी'' और ''अटल मिशन ऑफ रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन''(अमरूत) क्रियान्वित की जा रही हैं।

109. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए अपना घर सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882.50 करोड़ रुपये की लागत से 11,259 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति तैयार की गई है।

110. मैं शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3869.63 करोड़ रुपये और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1103.95 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह परिव्यय संशोधित अनुमान 2016–17 में 3408.16 करोड़ रुपये की तुलना में 45.93 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग

111. उद्योग आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके मद्देनजर, सरकार ने नई उद्यम प्रोत्साहन नीति तैयार और क्रियान्वित की है, जिससे राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है। गत एक वर्ष के दौरान 6.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश के 407 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से

86013 करोड़ रुपये के निवेश के 148 समझौते क्रियान्वयनाधीन हैं जिनसे राज्य में लगभग 1.60 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।

112. वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय, हरियाणा ''ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस'' के मामले में भारत वर्ष में 14वें स्थान पर था। बहरहाल, नई उद्यम प्रोत्साहन नीति की घोषणा के एक वर्ष के भीतर अब देश के अग्रणी राज्यों में और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।

113. वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में 12,725 लघु और 266 मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। 16,780 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ इन उद्योगों ने 1.70 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है।

114. उद्यम या औद्योगिक मंजूरी प्रदान करने वाले सभी विभागों को संपर्क के एक बिंदु के साथ एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र से निवेशकों एवं उद्यमियों को पारदर्शी रूप से सहज और परेशानी मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

115. मैं बजट अनुमान 2017–18 में, उद्योग और खनिज विभाग के लिए 399.88 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 366.99 करोड़ रुपये की तुलना में 8.96 प्रतिशत अधिक है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

116. हरियाणा राज्य ने अपने विज़न को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात (i) प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, (ii) मांग पर शासन एवं सेवाएं और (iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है।

117. सरकार और निजी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेशभर में आईसीटी आधारित अटल सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3600 से अधिक अटल सेवा केन्द्र और 134 ई–दिशा केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

118. राज्य में 2015 की आबादी के आधार पर शत–प्रतिशत आधार नामांकन हुआ है। वृद्धों, निशक्तों, स्थाई रूप से चलने–फिरने में असमर्थ(शय्याग्रस्त) नागरिकों के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से विशेष आधार नामांकन अभियान चलाया गया। शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग के आधार नामांकन के लिए 400 टैबलेट खरीदे गये हैं और 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 500 आधार नामांकन किट्स खरीदी जा रही हैं।

119. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने ई–गवर्नेंस में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वे हैं :–

- नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पुरस्कार
- हरियाणा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(ई–ग्रास) के ई–स्टेम्पिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकरण के लिए सीएसआई निहिलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, 2016
- ई–ग्रास का ई–स्टेम्पिंग के साथ एकीकरण के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, 2016
- स्कॉच द्वारा ई–टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट
- समग्र वेब उपस्थिति के लिए हरियाणा स्टेट फार डिजिटल इंडिया–सिल्वर मैडल, एमईआईटीवाई, भारत सरकार
- गुरुग्राम जिला के राजस्व रिकार्ड का जीआईएस के साथ एकीकरण के जी–ट्रायंगुलेशन प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय ई–शासन पुरस्कार।

120. राज्य नागरिक डाटाबेस (एसआरडीबी) के तहत, आधार कोष के लिए लगभग 1.58 करोड़ नागरिकों का रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है। विकसित नागरिक डाटा का इस्तेमाल भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप लाभ प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों के आदान–प्रदान के लिए विभिन्न विभागों की 29 ई–सेवाओं को एसआरडीबी के साथ एकीकृत किया गया है। एसआरडीबी की मदद से केरोसीन सब्सिडी, सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्तियां

प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य के लिए काफी बचत हुई है।

121. मैं बजट अनुमान 2017–18 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 125.56 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 88.69 करोड़ रुपये की तुलना में 41.57 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन और संस्कृति

122. राज्य सरकार भौतिक विकास की आवश्यकता के साथ–साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सचेत है। इस दिशा में, राज्य ने दिसंबर, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया। सरकार सिंधु दर्शन, मानसरोवर यात्रा और गुरु दर्शन यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

123. भारत सरकार ने कृष्ण सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में की है। इसके लिए राज्य द्वारा ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर का विकास किया जा रहा है और शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रेवाड़ी–महेंद्रगढ़–माधोपुर के लिए टूरिज़म इन्फ्रास्ट्रक्चर हैरिटेज सर्किट विकसित करने की पेशकश भी की है।

124. राज्य सरकार हरियाणा को एक फिल्म निर्माण–अनुकूल राज्य बनाने के लिए शीघ्र ही एक फिल्म नीति की घोषणा करेगी।

125. मैं 2017–18 में इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु पर्यटन के लिए 72.14 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं वृद्धों का कल्याण

126. आधुनिक भारत के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जिन्होंने ''एकात्मक मानव दर्शन'' एवं ''अंत्योदय'' के सिद्धांत प्रतिपादित किये, का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। सरकार उनके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने श्रमिकों, मजदूरों, गरीबों और अनुसूचित जाति

एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों, महिलाओं एवं वृद्धों के कल्याण एवं उत्थान के लिए नए कदम उठाए हैं।

127. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की वित्तीय सहायता जबकि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ''मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना'' के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये किया गया है।

128. डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

129. हरियाणा दिवस, 1 नवम्बर, 2016 से वृद्धों और दिव्यांगों तथा विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह की गई है।

130. मैं वर्ष 2017–18 के लिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 736.84 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4875.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि 2016–17 के संशोधित अनुमान से क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत अधिक है।

महिला बाल विकास

131. राज्य में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों को एक ही मंच पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार के प्रयासों और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप लिंगानुपात (जन्म के समय) में

काफी सुधार हुआ है जो 2011 में केवल 830 की तुलना में दिसंबर, 2016 तक 900 के स्तर तक पहुंच गया है।

132. मैं 2017–18 में, महिला एवं बाल विकास के लिए 1247.24 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो कि संशोधित अनुमान 2016–17 में 1009.66 करोड़ रुपये की तुलना में 23.53 प्रतिशत अधिक है।

जिला योजना स्कीम

133. इस योजना के तहत जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़कों, सामुदायिक भवनों एवं खेल आदि के क्षेत्र में व्यापक विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। मैं 2017–18 के लिए इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कल्याण

134. हरियाणा राज्य के लगभग 2.50 लाख कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ 1 जनवरी, 2016 से देने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। सरकार ने स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे लगभग 2.25 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बजट 2016–17 में पहले ही पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

135. हरियाणा ने अपने पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की शुरूआत की है। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर, सरकार ने होम गार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 572 रुपये प्रति दिन किया है, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है और इससे 5000 होम गार्ड लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। सरकार ने 1 जनवरी, 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इन वृद्धियों से सरकारी खजाने पर लगभग 2500 करोड़ रुपये वार्षिक का कुल वित्तीय भार पड़ेगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए नया विभाग

136. यह गर्व की बात है कि देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा उनके ऋणी रहेंगे। बहरहाल, उनके बलिदान के सम्मान और उनके प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के उद्देश्य से, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र ''सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग'' स्थापित किया गया है। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।

137. अम्बाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करेगा।

138. सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 से भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों और अर्धसैन्य बलों के आश्रितों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, बैंकिंग सेवाओं जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्सों की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

केरोसीन मुक्त राज्य

139. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 सर्वेक्षण के आधार पर बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसे बीपीएल परिवारों को 1,600 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

140. प्रथम चरण में 1 नवंबर, 2016 तक आठ जिलों नामतः अम्बाला, गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला और यमुनानगर को केरोसीन मुक्त किया गया है और 31 मार्च, 2017 तक समस्त राज्य को केरोसीन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

141. लोगों विशेषकर, युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के सहयोग से सोनीपत में एक साईंस सिटी और अम्बाला में एक सब रीज़नल साईंस सेंटर स्थापित करने की योजना है। मैं वर्ष 2017–18 में इस कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्तु एवं सेवा कर

142. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में एक प्रमुख कराधान सुधार है, जोकि एक राष्ट्रव्यापी आईटी प्रेरित समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और इसके 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की संभावना है। यह समान कराधान कानून देशभर में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को परेशानीमुक्त बनाएगा। यह कर सुधार ''एक राष्ट्र एक कर'' की अवधारणा को भी साकार करेगा।

143. राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार जीएसटी कानून बनाने के लिए जीएसटी परिषद् के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क में रही है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में गठित जीएसटी परिषद् को सभी विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रगतिशील निर्णय पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूँ। हरियाणा प्रदेश जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए आईटी आधारभूत संरचना के विकास के मामले में मॉडल–। राज्य है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आवश्यक सॉफ्टवेयर के विकास और हार्डवेयर के नियोजन के लिए पहले ही एक सिस्टम इंटिग्रेटर को नियुक्त कर लिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को जीएसटी प्रावधानों के संबंध में उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, राज्य में वैट के तहत मौजूदा डीलरों को जीएसटी के तहत लाने की प्रक्रिया चल रही है।

144. वित्त वर्ष 2017–18 की प्रथम तीमाही में वैट से लगभग 8500 करोड़ रुपये का राजस्व और दूसरी से चौथी तीमाही में जीएसटी से लगभग

22000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, जोकि 2016–17 के संशोधित अनुमान पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, राज्य आबकारी शुल्क से 6100 करोड़ रुपये, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस से 3900 करोड़ रुपये और वाहनों पर कर से 2400 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की सम्भावना है।

कर प्रस्ताव

145. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वित्त वर्ष 2017–18 के इन बजट अनुमानों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव करने या कोई नया कर लागू करने के प्रस्ताव का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में, राज्य सरकार ने बायो डीजल (बी–100) और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरणों एवं कलपुर्जों को वैट से छूट देकर कर मुक्त करने का निर्णय लिया है।

क्षेत्रवार आवंटन का पुनः अवलोकन

146. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त वर्ष 2017–18 के लिए क्षेत्रवार आवंटन के बारे बताना चाहूंगा। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों (सिंचाई, सहकारिता और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी सहित) को 12,784.72 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 4963.09 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। शिक्षा क्षेत्र (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, खेल, कला और संस्कृति सहित) के लिए 15546.65 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग एवं खनिज विकास के लिए 399.88 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 6859.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बिजली क्षेत्र के लिए 12,685.71 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3382.84 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये और जिला योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। परिवहन क्षेत्र के लिए

2549.81 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है। भवन एवं सड़क क्षेत्र के लिए 3827.70 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

147. किसी भी प्रयास की सफलता समाज के वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध करवाए गए लाभों से आंकी जाती है। मैंने 2017–18 में एससीएसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से 7230 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है जोकि विकासात्मक योजनाओं के 35885 करोड़ रुपये के परिव्यय का 20.15 प्रतिशत है।

148. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रामीण विकास के प्रति एक सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना एक अन्य प्राथमिकता है।

निष्कर्ष

149. माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय मैंने ''सबका साथ–सबका विकास'' के सिद्धान्त के अनुसार हमारे प्रगतिशील राज्य के समाज के सभी वर्गों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है। कहने की आवश्यकता नहीं की, आम जनता के लिए विकास के एजेंडे के मामले में सबको एक साथ लेकर चलना वर्तमान सरकार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मैं इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों का मेरा बजट अभिभाषण बड़े ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए तथा आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, आप सबसे हरियाणा को चहुंमुखी विकास, समृद्धि और लोगों की भलाई के मामले में नई ऊचाइयों पर ले जाने के लिए राजनैतिक एवं वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर इस पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने और मेरे बजट प्रस्ताव को अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ।

150. मैं यह आशा करता हूँ की यह बजट प्रस्ताव आचार्य चाणक्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में लोक कल्याणकारी राज्य के सूत्र पर आधारित होकर

हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के सुख एवं कल्याण का कारण बनेंगे। यह सूत्र इस प्रकार है :

सुखस्य मूलं धर्मः
धर्मस्य मूलं अर्थः
अर्थस्य मूलं राज्यं
राज्यस्य मूलं इन्द्रिय जयः
इन्द्रियाजयस्य मूलं विनयः
विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवः

(सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल सुराज है, सुराज का मूल इन्द्रिय विजय है, इन्द्रीय विजय का मूल विनय है और विनय का मूल वृद्धों एवं आश्रितों की सेवा है।)

151. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों को इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वंदे मातरम् !

जय हिन्द!

55103—F.D.—H.G.P., Chd.